

(Duplicate Copy):RPTCO10016812 13-Aug-2024

तिथि
May 2 2017

आदेश



अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बांघडीह थाना जरीडीह

खाता	प्लॉट	रकबा
64	2439	0 एकड़, 6.5 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ताजउद्दीन अंसारी	पिता	मृत मजीबुल्लाह अंसारी
कमरुद्दीन अंसारी	पिता	मृत गयासुद्दीन अंसारी
रहमतुल अंसारी	पिता	मृत आलम मियाँ
करीमुद्दीन अंसारी	पिता	फरीद मियाँ

है जिन्होंने निवधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 6812 दिनांक Dec 28 2015 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
आलम मियाँ व फरीद मियाँ वो मोलाबक्स	पिता	जानू मियाँ

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः वार्षिक लगान **4रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी ॥ में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : RAJESH KUMAR MISHRA

अंचलाधिकारी जरीडीह

Covid-19 से बचाव- कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, हमें कोरोना से लड़ना होगा।